

कायालय नदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-७/हिन्दी/स्थानान्तरण/ 2019 दिनांक-29.09.19 के तहत श्री भंवर लाल मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमायि, अमरवारी, भीलवाडा का स्थानान्तरण गो.गु. राउमायि, आनन्दपुरी-बापीडोरा, बांसवाडा किया गया। श्री भंवर लाल मीणा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-1038/2020 भंवर लाल मीणा बनाम निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक-28.09.2020 में अपीलार्थी को आदेशित किया है कि वह प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक-15.10.2020 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी चार रात्ताह तथा जहां पंचायत राज चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के 15 दिवस की अवधि में एक आख्यातक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के ग्रन्थ में अपीलार्थी श्री भंवर लाल मीणा द्वारा अभ्यावदन प्रस्तुत कर्ता रथानान्तरित रथान 600 किमी. दूर होने, पूर्व पदरथापन रथान आज दिनांक तक रिवत होने, प्रार्थी की पल्ली शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर राजाउमावि, देवली, टोंक में कार्यरत होने, स्वयं की माता वृद्ध एवं बीमार होने के कारण अपना पदरथापन 1-राजाउमावि, देवली, टोंक, 2-राजाउमावि, अमरवारी-जहांजिपुर, भीलवाड़ा में करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।

में परिवेदना प्रत्युत की है। अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिवेदन में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा रथानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, युर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शत्य यिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की दीरगना से प्राप्त अधिक दिव्यांग, कैंसर, युर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शत्य यिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की दीरगना से किसी भी श्रेणी के परिवेदनाओं को ही प्राप्त भिक्ता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्भृत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छान्न हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा रथानान्तरित पदस्थापन रथान पर दिनांक- 17.10.2019 को कार्यगण भी कर लिया है।

17.10.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
शिक्षा, राजस्थान
दीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संरथा/सी-७/हिन्दी/रथा.को.के./भंवरलाल गीणा/1038/2020 दिनांक- ०१-१०-२०२०

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
 2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
 3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बांसवाड़ा
 5. जि.सि.आ. (माध्य-विधि) जयपुर।
 6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग वजे विज्ञागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
 8. संबंधित संस्था प्रधान
 9. संबंधित कार्मिक
 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
गाध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर